ओम जोशी बनाम निर्मल जोशी

दिनांक	आज्ञा पत्र
22/7/24	पत्रावली पेश। बहस अपील सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 5/8/24 को पेश हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर
5/8/24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर याद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 123/2011

1 भीम जोशी उम्र 48 साल पुत्र स्व. रामचन्द्र जोशी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 श्रीमती किरण देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र जोशी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। (मृत) नाम हजफ

अपीलांट

बनाम

1 निर्मल जोशी पुत्र स्व. रामचन्द्र जोशी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2 श्रीमती सुमन जोशी पुत्री स्व. रामचन्द्र जोशी पत्नी श्री रमेशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर। (मृत)
2/1 हेमन्त पुत्र रमेश चन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
2/2 भावना पुत्री रमेशचन्द्र जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम शिश्यु तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
3 तहसीलदार महोदय तहसील कार्यालय दांतारामगढ़ जिला सीकर।
4 कार्यालय पटवार हल्का ग्राम शिश्यु रानोली तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।
5 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पलसाना जरिये शाखा प्रबंधक पलसाना तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध आदेश सहायक कलेक्टर प्रथम, सीकर उनवानी निर्मल जोशी बनाम किरण देवी वगैरह मुकदमा नम्बर 173/2010 आदेश दिनांक 29.09.2011

उपस्थिति :

1. श्री विजय सिंह तंवर, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथ चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 5.8.24

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर प्रथम सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 173/2010 में पारित निर्णय दिनांक 29.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर दिनांक 29.10.2010 को एक तरफा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा का आदेश दावे व आवेदन में प्रश्नगत कृषि भूमियों के रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का प्राप्त कर लिया। विचारण न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी का मूल वाद संख्या 206/2010 का निर्णय दिनांक 29.09.2011 को कर दिया गया,

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जिसमें मामले की कार्यवाही रोकते हुये नये दावे की छूट देते हुए दावा दाखिल दफ्तर कर दिया गया, उसके बावजूद दिनांक 29.09.2011 को दावे के साथ पेश आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा में चुनौतीग्रस्त आदेश कानून के खिलाफ पारित कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय का चुनौतिग्रस्त आदेश विधि के प्रावधानों के विपरित होने के कारण खारिज होने योग्य है क्योंकि काश्तकारी अधिनियम की अनुसूची तृतीय के अनक्षर के मुताबिक केवल काश्तकार या उपकाश्तकार या सह काश्तकार ही दावा कर सकता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी इनमें से कोई भी नहीं है। इस कारण रेस्पोडेन्ट वादी को दावा पेश करने का अधिकार नहीं था। दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पेश होने पर आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा में कोई भी आदेश मूलवाद के निर्णय तक ही दिया जा सकता है। दावे का निर्णय हो जाने पर दावे का निर्णय प्रभावी हो जाता है। विचारण न्यायालय में मूल वाद की कार्यवाही रोककर दाखिल दफ्तर कर दिया गया तो आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा उसके साथ ही दाखिल दफ्तर होना कानूनी रूप से आवश्यक था। आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पर ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता जो मूलवाद के निस्तारण के बाद भी प्रभावी हो। विचारण न्यायालय ने मूलवाद के निर्णय के पश्चात प्रभावी होने का आदेश आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा की पत्रावली में जारी किया गया है जो खिलाफ कानून है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का अवलोकन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा व आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पेश होने पर आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा में कोई भी आदेश मूलवाद के निर्णय तक ही दिया जा सकता है। दावे का निर्णय हो जाने पर

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दावे का निर्णय प्रभावी हो जाता है। विचारण न्यायालय में मूल वाद की कार्यवाही रोककर दाखिल दफ्तर कर दिया गया तो आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा उसके साथ ही दाखिल दफ्तर होना कानूनी रूप से आवश्यक था। आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा पर ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जा सकता जो मूलवाद के निस्तारण के बाद भी प्रभावी हो। विचारण न्यायालय ने मूलवाद के निर्णय के पश्चात प्रभावी होने का आदेश आवेदन अस्थायी निषेधाज्ञा की पत्रावली में जारी किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 5.8.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

Rc. ...
05/10/21

अपीलाण्ट

भीम जोशी